भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 268

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की प्रगति

268. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

श्रीमती मालविका देवी:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के प्रथम चरण के विभिन्न घटकों के अंतर्गत हासिल की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा बायोगैस, बायो-सीएनजी, बायोमास पेलेट्स और अपशिष्ट-से -ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं के अंतर्गत चालू की गई कुल क्षमता का ओडिशा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के प्रथम चरण के प्रत्येक घटक के तहत राज्य-वार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत, पूर्ण और बर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय और आकांक्षी जिलों विशेषकर ओडिशा के कंधमाल जिले को लाभ हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम का ग्रामीण आय सृजन, वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन और बायोमास/पराली जलाने में कमी लाए जाने के संबंध में कोई मूल्यांकन या आकलन किया है और यदि हां, तो मापनीय महत्वपूर्ण परिणामों और उनके आधार पर प्रस्तावित भावी नीतिगत उपायों सहित ऐसे मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वी भागों में जैव -ऊर्जा संकुलों और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना का विस्तार करने का है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार किए गए बजट आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित देश के जनजातीय बहुल जिलों में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (NBP) चरण-I के अंतर्गत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय निम्नलिखित योजना घटकों के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं, बायोमास परियोजनाओं और बायोगैस परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान करके, देश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना

में सहायता करता हैः

i. **अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम** (शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम)
ii. **बायोमास कार्यक्रम** (देश में ब्रिकेट और पेलेट्स के मेन्युफेक्चरिंग में सहायता करने और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना)
iii. **बायोगैस कार्यक्रम** (छोटे (1 घन मीटर से 25 घन मीटर प्रति दिन) और मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्रों अर्थात् 25 घन मीटर से अधिक से 2500 घन मीटर प्रतिदिन तक बायोगैस उत्पादन की स्थापना में सहायता करने के लिए कार्यक्रम।

एनबीपी चरण-I के अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास एवं बायोगैस घटकों के अंतर्गत कुल स्थापित क्षमता (दिनांक 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार) **अनुलग्नक-I** में दी गई है**।**

(ख): स्वीकृत, पूर्ण की गई और वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की संख्या **अनुलग्नक-II** में दी गई है।

(ग): एनबीपी चरण-I के अंतर्गत, जनजातीय और आकांक्षी जिलों सहित देश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान की जा रही है, जो निम्नानुसार है:

i. विशेष श्रेणी वाले राज्य (पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड), जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए 20% अधिक सीएफए दिया जाता है।

ii. मध्यम बायोगैस संयंत्रों के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में कार्यान्वयन, द्वीपसमूहों, पंजीकृत गौशालाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 20% अधिक सीएफए प्रदान किया जाता है। साथ ही, इन क्षेत्रों में लघु बायोगैस संयंत्रों के लिए, सीएफए 17,000 (1 घन मीटर) से 70,400 (25-2500 घन मीटर), जो कि अन्य राज्यों को दिए जा रहे सीएफए से अधिक है।

ओडिशा नवीकरणीय विकास संस्था (OREDA) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एनबीपी चरण-I के अंतर्गत ओडिशा के कंधमाल जिले में किसी परियोजना की सहायता नहीं की गई है।

(घ): मंत्रालय ने एनबीपी चरण-I का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया है।

ग्रामीण आय सृजन और अपशिष्ट प्रबंधन तथा बायोमास/पराली जलाने में कमी लाने से संबंधित प्रमुख निष्कर्षों को **अनुलग्नक-III** में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

एनबीपी के तहत भविष्य के नीतिगत हस्तक्षेप जैव ऊर्जा तंत्र को मजबूत करने**,** बायोमास आपूर्ति श्रृंखलाओं में सुधार करने, अपशिष्ट से ऊर्जा पहल में सहायता करने और संस्थागत तथा तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

(ड.): सरकार केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करके देश के पूर्वी भागों (ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में) सहित देश के सभी भागों में जैव ऊर्जा परियोजनाओं और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है। तथापि, क्षेत्रीय आधार पर अलग से कोई बजट आबंटन नहीं किया जाता है, देश के पूर्वी भागों में पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

(च): एनबीपी चरण-I के अंतर्गत, देश के जनजातीय बहुल जिलों और महाराष्ट्र के पालघर जिले सहित देश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

ग्रामीण विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, एनबीपी चरण-I के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लाभार्थियों के लिए पालघर जिले में 270 लघु बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(छ): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एनबीपी के चरण-I का कार्यान्वयन कर रहा है, जो बेंगलुरु जैसे शहरी केंद्रों सहित देश में जैव ऊर्जा और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहयाता करता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के तहत, विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है, जिसमें अन्य के साथ-साथ कंप्रैस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों, बायो-मिथेनेशन संयंत्र, अपशिष्ट से खाद संयंत्रों. मैटिरियल रिकवरी फेसिलिटी (MRF) और रिफ्यूस्ड डिराइव्ड फ्यूल (RDF) प्रोसेसिंग सुविधा सहित अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं।

अनुलग्नक-I

'राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की प्रगति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 268 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

एनबीपी के चरण- I के तहत देश में संस्थापित जैव ऊर्जा परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(दिनांक 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं	राज्य	बायोमास परियोजनाएं (गैर-खोई सह-उत्पादन	बायोमास आधारित ब्रिकेट/पेलेट विनिर्माण परियोजनाएं	अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं	छोटे बायोगैस संयंत्र	मध्यम बायोगैस संयंत्र
		क्षमता (मेगावाट)	क्षमता (टीपीएच)	क्षमता (मेगावाट समतुल्य)	संख्या	किलोवाट
1	आंध्र प्रदेश	35	7.7	19.99	88	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	200	0
3	असम	6	4	0	389	0
4	बिहार	19.2	4	0	255	0
5	छत्तीसगढ़	0	8	10.42	546	0
6	गोवा	0	0	1.6	11	0
7	गुजरात	0	117.49	20.59	3668	0
8	हरियाणा	47.2	130.75	33.48	439	43.75
9	हिमाचल प्रदेश	16.95	0	0	0	0
10	झारखंड	5	2	1.04	11	0
11	कर्नाटक	0	17	13.09	1398	25
12	केरलम	0	0	0	637	0
13	मध्य प्रदेश	8	322.05	24.13	6260	0
14	महाराष्ट्र	0	79.6	26.86	14468	1317.5
15	मणिपुर	0	0	0	25	0
16	मेघालय	0	2	0	1	0
17	मिजोरम	0	0	0	1	0
18	नागालैंड	0	0	0	52	0
19	ओडिशा	0	22	5	216	37.5
20	पंजाब	77.86	41	27.09	3220	45.75
21	राजस्थान	2.5	106.3	67.54	567	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	12	10	3.92	124	2175
24	तेलंगाना	24.24	88.1	0.63	23	300
25	त्रिपुरा	0	0	0	161	0
26	उत्तराखंड	36.22	1	7.63	1436	10

क्र. सं	राज्य	बायोमास परियोजनाएं (गैर-खोई सह-उत्पादन	बायोमास आधारित ब्रिकेट/पेलेट विनिर्माण परियोजनाएं	अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं	छोटे बायोगैस संयंत्र	मध्यम बायोगैस संयंत्र
		क्षमता (मेगावाट)	क्षमता (टीपीएच)	क्षमता (मेगावाट समतुल्य)	संख्या	किलोवाट
27	उत्तर प्रदेश	56.45	42.3	86.9	540	37.5
28	पश्चिम बंगाल	32.4	9	5.81	159	37.5
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0		0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	18	0
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0	0	26.17	0	0
33	जम्मू और कश्मीर	5	0	0	0	0
34	लद्दाख	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
	कुल	**384.02**	**1014.29**	**381.87**	**34913**	**4029**

अनुलग्नक-II

'राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की प्रगति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 268 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

एनबीपी के चरण-I के प्रत्येक घटक के तहत स्वीकृत, पूर्ण और कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है:

क. बायोमास कार्यक्रम:

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	0
2.	गुजरात	16	16	0
3.	हरियाणा	7	7	0
4.	कर्नाटक	1	1	0
5.	मध्य प्रदेश	45	45	0
6.	महाराष्ट्र	13	13	0
7.	पंजाब	6	6	0
8.	राजस्थान	9	9	0
9.	तमिलनाडु	3	3	0
10.	तेलंगाना	4	4	0
11.	उत्तराखंड	1	1	0
12.	उत्तर प्रदेश	5	5	0
	कुल	**111**	**111**	**0**

ख. अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम:

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	4	4	0
2.	दिल्ली	2	1	1
3.	गोवा	1	1	0
4.	गुजरात	4	4	0
5.	हरियाणा	11	10	1
6.	झारखंड	1	1	0
7.	कर्नाटक	5	5	0
8.	मध्य प्रदेश	2	2	0
9.	महाराष्ट्र	9	7	2
10.	पंजाब	7	6	1
11.	राजस्थान	2	2	0
12.	तमिलनाडु	5	4	1
13.	तेलंगाना	5	4	1
14.	उत्तर प्रदेश	17	17	0
15.	उत्तराखंड	2	2	0
16.	पश्चिम बंगाल	2	2	0
	कुल	**79**	**72**	**7**

ग. बायोगैस कार्यक्रम:

क्र. सं.	राज्य का नाम	छोटे बायोगैस संयंत्रों की संख्या	मध्यम बायोगैस संयंत्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	88	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	200	0
3.	असम	389	0
4.	बिहार	255	0
5.	छत्तीसगढ़	546	0
6.	गोवा	11	0
7.	गुजरात	3668	0
8.	हरियाणा	439	1
9.	झारखंड	11	0
10.	कर्नाटक	1398	1
11.	केरलम	637	0
12.	मध्य प्रदेश	6260	0
13.	महाराष्ट्र	14468	16
14.	मणिपुर	25	0
15.	मेघालय	1	0
16.	मिजोरम	1	0
17.	नागालैंड	52	0
18.	ओडिशा	216	1
19.	पंजाब	3220	3
20.	राजस्थान	567	0
21.	तमिलनाडु	124	11
22.	तेलंगाना	23	2
23.	त्रिपुरा	161	0
24.	उत्तर प्रदेश	540	1
25.	उत्तराखंड	1436	1
26.	पश्चिम बंगाल	159	1
27.	दादरा और नगर हवेली	18	0
कुल		**34913**	**38**

नोट: सभी बायोगैस संयंत्र चालू किए जा चुके हैं।

अनुलग्नक-III

'राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की प्रगति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 268 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

एनबीपी चरण-I के कार्यान्वयन के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

क) ग्रामीण आय सृजन

इस कार्यक्रम ने जैव ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में ग्रामीण आय सृजन और रोजगार में योगदान दिया है। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (एनबीपी) चरण-I के तहत परिवार स्तर के बायोगैस संयंत्रों ने निर्माण और स्थापना के दौरान अनुमानित 1.4-1.8 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित किए हैं। परिवार स्तर के बायोगैस संयंत्र पारंपरिक ईंधन और उर्वरकों पर बचत के माध्यम से ग्रामीण आय में भी योगदान करते हैं, जिसमें एलपीजी, ईंधन वाली लकड़ी और रासायनिक उर्वरकों पर कम हुए खर्च के कारण प्रति परिवार लगभग 6,000-7,000 रुपये की औसत वार्षिक बचत होती है।

इसके अलावा, औसतन, बायोमास-आधारित ब्रिकेटिंग और पेलेट इकाइयां क्रमशः लगभग 13 और 21 श्रमिकों को रोजगार देती हैं, जबकि गैर-खोई-आधारित बायोमास सह-उत्पादन और अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र क्रमशः लगभग 67 और 45 श्रमिकों को रोजगार देते हैं।

ख) अपशिष्ट उपयोग या पराली जलाने या बायोमास की बर्बादी में कमी

इस कार्यक्रम ने एनबीपी चरण-I के विभिन्न उप-घटकों के कार्यान्वयन के माध्यम से कृषि अवशेषों के सतत उपयोग को सुविधाजनक बनाया है।

धान के भूसे सहित कृषि-अवशेषों का उपयोग करने वाले एक विशिष्ट अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र के लिए, 1 टीपीडी कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पन्न करने के लिए प्रति दिन लगभग 10 टन (टीपीडी) कृषि-अवशेषों की खपत होती है। इसी तरह, एक ब्रिकेटिंग/पेलेटाइजिंग संयंत्र के लिए, लगभग 1.25 टीपीडी कृषि-अवशेषों का उपयोग 1 टीपीडी ब्रिकेट/ पेलेट को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

अनुलग्नक-IV

'राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की प्रगति' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.03.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 268 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-Iन

देश के पूर्वी भागों में विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

कार्यक्रम का नाम	**वित्त वर्ष**			**Total***
	2022-23	**2023-24**	**2024-25**	
राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रम	0.07	0.32	0.27	0.66
पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना	13.8	12.8	97.9	124.5
पीएम-कुसुम	20.04	5.8	48.73	74.57
सौर (ऑफ-ग्रिड)	9.34	0	0	9.34
नई सौर विद्युत योजना (पीएम जनमान और डीए जेजीयूए के अंतर्गत)	0	0	6.43	6.43

*सिक्किम राज्य सहित।

****